v/;k;&IV% ekVj okguksa ij dj

4-1 ys[kkijh{kk ds ifj.kke

वर्ष 2006–07 के अवधि में परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों के नमूना जाँच से 172 मामलों में 41.63 करोड़ रुपये की राशि के मोटर वाहनों पर कर, फीस, अर्थदण्ड/जुर्माना आदि के नहीं/कम कर लगाये जाने का पता चला जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

¼djksM+ #i;s esa½

Øe la-	Js.kh	ekeyksa dh la[;k	jkf'k
1.	अर्थदण्ड एवं जुर्माना आरोपित नहीं किया जाना	09	0.97
2.	कर का नहीं/कम लगाया जाना	01	0.01
3.	अन्य मामले	162	40.65
;ksx		172	41-63

वर्ष 2006–07 की अवधि में विभाग ने 116 मामलों में अन्तर्निहित 28.49 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2006–07 की अवधि में बतलाये गये थे।

दृष्टान्तस्वरूप 30.44 करोड़ रुपये से अन्तर्निहित कर प्रभाव वाले कुछ मामले का उल्लेख निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई हैः

4-2 ;kX; rk Áek.k i= dk vfu;fer fuxeu

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989, के अन्तर्गत किसी भी परिवहन वाहन को योग्यता प्रमाण पत्र तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वाहन मालिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कर भुगतान का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेते हैं। माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय[1] के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र लेने हेतु टैक्स टोकन, जो कि कर भुगतान का एक साक्ष्य है, प्रस्तुत करना अपेक्षित है। पुनः राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा 1994 में निर्गत कार्यपालक अनुदेषों के अनुसार मोटर वाहन निरीक्षकों को उन परिवहन वाहनों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान/नवीकरण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिनके विरूद्ध कर का भुगतान नहीं किया गया है।

अगस्त 2006 एवं मार्च 2007 के बीच आठ जिला परिवहन कार्यालयों[2] के कराधान पंजियों के साथ योग्यता प्रमाण पत्र पंजियों में दर्ज प्रविष्टियों के तिर्यक जाँच के दौरान यह पाया गया कि कर का अद्यतन भुगतान सुनिष्चित किये बगैर 95 परिवहन वाहनों को योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत कर दिये गये थे। इस चूक के कारण न केवल राज्य परिवहन आयुक्त के आदेष की अवहेलना हुई, बल्कि जुलाई 2002 एवं जुलाई 2006 के बीच की अवधि से संबंधित अर्थदण्ड सहित 2.74 करोड़ रुपये के कर की वसूली भी नहीं हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद छः जिला परिवहन पदाधिकारियों[3] ने अगस्त 2006 एवं मार्च 2007 के बीच कहा कि मामले को मोटर वाहन निरीक्षकों को अनुपालन हेतु संदर्भित किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा ने मार्च 2007 में कहा कि मामले की जाँच की जायेगी तथा तदनुरूप कार्रवाई की जायेगी, जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने जनवरी 2007 में बताया कि माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को अप्रैल 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

4-3 ekVj okgu ij dj dh olyh ugh fd;k tkuk

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत मोटर वाहन कर का भुगतान उसी निबन्धन प्राधिकारी को किया जाना है जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन निबन्धित है। निवास स्थान/व्यवसाय स्थल के परिवर्तन की स्थिति में, वाहन मालिक नये निबन्धन प्राधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है, बशर्ते की पूर्ववर्ती निबंधन प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें। पुनः निबंधन प्राधिकारी, वाहन मालिकों को कर के भुगतान से छूट प्रदान कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि वाहन मालिक द्वारा विहित शर्त्तों को पूरा कर लिया गया है। समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा माँग पत्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है तथा माँग पत्र का जवाब नहीं दिये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत कार्यपालक अनुदेषों के अनुसार नीलामवाद प्रक्रिया आरम्भ किया जाना है। 90 दिनों से भी अधिक समय तक कर का भुगतान नहीं किये जाने पर देय कर का 200 प्रतिषत की दर पर अर्थदण्ड के रूप में लगाया जाना है।

---

1 पटना जिला ट्रक संघ बनाम बिहार राज्य 1993(1) पी एल जे आर 211

2 बाँका, बेगुसराय, कटिहार, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं सहरसा

3 बाँका, बेगुसराय, कटिहार, मोतिहारी, मुंगेर एवं मुजफ्फरपुर

जुलाई 2006 एवं मार्च 2007 के बीच 30 जिला परिवहन कार्यालयों[4] के करारोपण पंजी के नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 1,198 परिवहन वाहन के मालिकों ने यद्यपि जुलाई 2002 एवं जून 2006 के बीच की अवधि से संबंधित 9.13 करोड़ रुपये के कर का भुगतान नहीं किया था फिर भी, जिला परिवहन पदाधिकारियों ने दोषी वाहन मालिकों से बकाये की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। किसी भी मामले में मालिकों के पते में परिवर्तन होने अथवा कर भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिये वाहनों के कागजात अभ्यर्पित किए जाने का उल्लेख अभिलेख पर नहीं पाया गया। इसके फलस्वरूप 9.13 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं हुई। इसके अलावे 200 प्रतिषत के दर पर 18.25 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड भी आरोपित किया जाना था।

मामले इंगित किये जाने के बाद 26 जिला परिवहन पदाधिकारियों[5] ने जुलाई 2006 एवं मार्च 2007 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसपर तदन्तर नीलामवाद की कार्रवाई की जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारियों, खगड़िया एवं जहानाबाद ने नवम्बर 2006 में कहा कि जाँचोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई ने नवम्बर 2006 में बतलाया कि माँग पत्र निर्गत कर दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया ने दिसम्बर 2006 में कहा कि उत्तर बाद में दी जायेगी। हालाँकि दिया गया उत्तर, कर की वसूली हेतु वाहन मालिकों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं किये जाने के कारणों के बारे में खामोष था, जबकि इसे लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। आगे उत्तर प्रतिवेदित नहीं किये गये हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को जनवरी एवं जून 2007 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

4-4 vH;i.k e vUrxLr okguk l dj dh olyh ugh fd;k tkuk

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत जब कोई मोटर वाहन मालिक किसी अवधि, जो एक समय में छः महीने से अधिक की न हो, अपने वाहन का उपयोग नहीं करना चाहता है, तो उसे वाहन का उपयोग नहीं किये जाने की अवधि के लिए कर भुगतान से सक्षम पदाधिकारी द्वारा छूट प्रदान किया जा सकता है बषर्ते कि छूट का दावा निबन्धन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन इत्यादि जैसे आवष्यक प्रलेखों को अभ्यर्पित कर दिये जाने के साक्ष्यों से समर्थित हो। उपरोक्त अवधि के विस्तार, यदि कोई हो, के लिये वाहन मालिक को समय–समय पर संबंधित करारोपण पदाधिकारी के समक्ष वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। करारोपण पदाधिकारी को महीने में कम से कम एक बार वाहन के पार्किंग स्थल का औचक रूप में भौतिक सत्यापन करना है और वाहन के अभिलेख में इस निरीक्षण मेमो को दर्ज करना है। वचन पत्र में उल्लिखित अवधि के दौरान यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मोटर वाहन का उपयोग किया जा रहा है अथवा वाहन को वचन पत्र में दर्षाये गये स्थान की अपेक्षा किसी अन्य स्थान पर रखा गया है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत यह माना जायेगा कि उक्त सम्पूर्ण अवधि में कर का भुगतान किये बगैर वाहन का उपयोग किया गया है।

जुलाई 2006 एवं मार्च 2007 के बीच तीन जिला परिवहन कार्यालयों के कराधान/अभ्यर्पण पंजी एवं अन्य संबद्ध अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया

---

4 अररिया, औरंगाबाद, बाँका, बेगुसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किषनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सिवान एवं वैषाली

5 औरंगाबाद, बाँका, बेगुसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, कटिहार, किषनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सिवान एवं वैषाली

कि अभ्यर्पण में अन्तर्निहित 23 वाहनों से संबंधित 14.61 लाख रुपये के कर की वसूली उनके मालिकों से नहीं की गई थी, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है :

¼yk[k रुपये esa½

Øe l-	ftyk ifjogu dk;kZy; dk uke	okguksa dh la[;k	lfUufgr dj dh vof/k	vfu;ferrk,¡	dj çHkkko
1.	नालन्दा	06	1 फरवरी 2003 से 31 मार्च 2006	आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद नये वचन पत्र प्राप्त किये बगैर 28 एवं 39 महीनों के बीच अवधि विस्तार की अनुमति दी गई थी।	8.31
2.	मुजफ्फरपुर	13	4 नवम्बर 2004 से 30 जून 2006	आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद नये वचन पत्र प्राप्त किये बगैर 16 एवं 20 महीनों के बीच अवधि विस्तार की अनुमति दी गई थी। पुनः 13 वाहनों में से एक मामले में आरम्भिक अभ्यर्पण दर्ज करने के समय योग्यता प्रमाण पत्र अभ्यर्पित नहीं किया गया था।	4.47
3.	मोतिहारी	04	1 दिसम्बर 2004 से 30 जून 2006	आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद नये वचन पत्र प्राप्त किये बगैर 13 एवं 18 महीनों के बीच अवधि विस्तार की अनुमति दी गई थी। पुनः चार वाहनों में से एक वाहन का अभ्यर्पण निबंधन प्रमाण पत्र के फोटो कॉपी के आधार पर अनियमित रूप से स्वीकार किया गया था।	1.83
dqy		23			14-61

मामले इंगित किये जाने के बाद दो जिला परिवहन पदाधिकारियों[6] ने दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2007 के बीच बतलाया कि अभ्यर्पण को रद्द करने संबंधी सूचनापत्र वाहन मालिकों को निर्गत कर दिया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा ने मई 2007 में कहा कि कर की वसूली हेतु माँग पत्र पहले ही निर्गत कर दिया गया है। हालाँकि यह उत्तर आगे के अवधि के लिये वाहन मालिकों से नये वचन पत्र प्राप्त किये बगैर आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के अनियमित विस्तार एवं उचित कागजात के बगैर/ कागजातों के फोटोकॉपी पर अभ्यर्पण की अनुमति देने के कारणों को स्पष्ट नहीं करता है। आगे उत्तर प्रतिवेदित नहीं किये गये हैं (नवम्बर 2007)।

6 मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर

मामले सरकार को अप्रैल एवं मई 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

4-5 ekVj okguk d 0;olkf;;k l 0;kikj dj dh olyh ugh@de fd;k tkuk

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत विनिर्माता अथवा व्यवसायी को उसके व्यवसाय के क्रम में अधिकार में रहे मोटर वाहनों पर एक विनिर्माता/व्यवसायी के रूप में विहित वार्षिक दर पर कर का भुगतान करना है। देय तिथि के अन्दर कर का भुगतान नहीं करने की स्थिति में देय कर का 25 एवं 200 प्रतिषत के बीच अर्थदण्ड आरोप्य है।

दो जिला परिवहन कार्यालयों[7] के अभिलेखों की अक्तूबर एवं दिसम्बर 2006 के बीच किये गये संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि मोटर वाहनों के 12 व्यवसायियों ने वर्ष 2002–03 एवं 2005–06 की अवधि के बीच अपने अधिकार में रखे गये 9,360 दोपहिया एवं 151 तीन/चार पहियों वाली गाड़ियों हेतु या तो विहित दर पर कर का भुगतान नहीं किया था या कम कर का भुगतान किया था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने भी दोषी व्यवसायियों पर माँग सृजित नहीं किया। इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित 12.46 लाख रुपये के व्यापार कर की वसूली नहीं/कम हुई।

मामले इंगित किये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगुसराय ने दिसम्बर 2006 में बतलाया कि व्यवसायियों से चालान प्राप्त कर इसकी जाँच की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर ने अक्तूबर 2006 में कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जाएगा। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को अप्रैल 2007 में प्रतिवेदित किए गए थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

4-6 VDl Vkdu dk vfu;fer fuxeu

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो विहित कर का भुगतान करता है, को करारोपण पदाधिकारी इसके लिए विहित प्रपत्र में रसीद एवं टैक्स टोकन उपलब्ध कराएगा। पुनः करारोपण पदाधिकारी किसी मोटर वाहन से संबंधित वर्तमान अवधि का कर अथवा अर्थदण्ड, यदि कोई हो, तब तक स्वीकार एवं टैक्स टोकन निर्गत नहीं करेगा जब तक कि कर एवं देय अर्थदण्ड के बकाये का पूर्णरूपेण भुगतान/निपटारा न कर लिया गया हो।

जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा के कराधान पंजी के फरवरी 2007 में नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी ने जून 2002 से अक्तूबर 2006 के अवधि से संबंधित बकाए कर एवं अर्थदण्ड वसूल किये बगैर वर्तमान अवधि हेतु कर प्राप्त कर 19 परिवहन वाहनों को टैक्स टोकन निर्गत कर दिया। चूँकि किसी भी वाहन हेतु मूल कागजातों के अभ्यर्पण के पश्चात कर के भुगतान में छूट का दावा नहीं किया गया था, बकाए की वसूली किये बगैर वर्तमान कर की वसूली कर टैक्स टोकन निर्गत किया जाना अधिनियम का उल्लंघन था तथा इसके परिणामस्वरूप 5.32 लाख रुपये के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

मामला इंगित किये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने फरवरी 2007 में बतलाया कि वाहन मालिकों को माँग पत्र निर्गत किया जायेगा। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

---

[7] बेगुसराय एवं मुंगेर

मामला सरकार को मई 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

4-7 Li'ky ,xheV dkM dk vfu;fer fuxeu

बिहार मोटरवाहन नियमावली के साथ पठित मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने अक्तूबर 2003 में स्पेषल एग्रीमेंट कार्ड योजना, जिसे गोल्डन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, की शुरूआत की। ये प्रीपेड कार्ड, मालवाहकों के भार क्षमता पर आधारित भिन्न–भिन्न मूल्यों, जिसमें अधिक मालों के माप एवं मालों को उतारने तथा इसके भंडारण इत्यादि पर शुल्क भी सम्मिलित है, के थे। योजना एवं राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यपालक अनुदेषों के अनुसार उपरोक्त कार्ड अहस्तांतरणीय थे तथा बिहार में निबंधित वाहनों, जिनके पास वैध निबंधन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, बीमा, परमिट तथा टैक्स टोकन थे एवं अन्य राज्यों में निबंधित वैसे वाहन जिन्हें निम्नतम 28 दिन का राज्य में परिचालन हेतु अस्थायी परमीट प्राप्त थे, एक कैलेन्डर माह हेतु जारी करना था।

तीन जिला परिवहन कार्यालयों[8] के स्पेषल एग्रीमेंट कार्ड से संबंधित अभिलेखों की दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2007 के बीच नमूना जाँच में पाया गया कि कर का अद्यतन भुगतान, योग्यता प्रमाण पत्र, बीमा तथा वैध परमिट सुनिष्चित किये बगैर 2.31 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न श्रृंखलाओं के 8,573 कार्ड, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा अक्तूबर 2003 से नवम्बर 2006 की अवधि के दौरान निर्गत किये गये थे। स्पेषल एग्रीमेंट कार्ड, किन वाहनों को निर्गत किये गये थे, का विवरण दर्षाने हेतु कोई अभिलेख संधारित नहीं था। इस प्रकार, स्पेषल एग्रीमेंट कार्ड के उपयोग हेतु निर्धारित शर्तों की अवहेलना करते हुए 2.31 करोड़ रुपये मूल्य के 8,573 स्पेषल एग्रीमेंट कार्डों का, परिवाहकों द्वारा विभिन्न वाहनों हेतु उपयोग के लिए, अनियमित निर्गमन किया गया था, जो सरकारी राजस्व के क्षरण को प्रश्रय देता है।

मामले इंगित किये जाने के बाद दो जिला परिवहन पदाधिकारियों[9] ने दिसम्बर 2006 तथा मार्च 2007 के बीच बतलाया कि मामले को पूर्ववर्ती जिला परिवहन पदाधिकारियों को संदर्भित किया जाएगा, जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने मार्च 2007 में कहा कि मामले की जाँच नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारियों, मोतिहारी एवं सहरसा के उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि पदस्थ जिला परिवहन पदाधिकारी अभिलेखों की जाँच, कार्रवाई तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों के समुचित उत्तर देने हेतु सक्षम प्राधिकारी थे। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को मई एवं जून 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

---

8 मोतिहारी, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा

9 मोतिहारी एवं सहरसा